<u>महत्वपूर्ण</u>

संख्याः 2/2020/154/38-10-2020-24/17

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 07 फरवरी, 2020

विषयः मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों में संचालित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को योजना से पृथक किए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए जाने विषयक शासनादेश संख्याः01/2018/13/38-10-2018-24/17 दिनांक 22 जनवरी, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 22 जनवरी, 2018 के प्रस्तर-3(ii) में योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रमों में बिन्दु सं0-18 पर बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित "राष्ट्रीय साक्षरता मिशन" कार्यक्रम सम्मिलित है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन योजना की समयावधि भारत सरकार द्वारा न बढ़ाए जाने के कारण योजना का संचालन दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से बंद कर दिया गया है।

3- अतएव शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शासनादेश दिनांक 22 जनवरी, 2018 के प्रस्तर-3(ii) के बिन्दु संख्या-18 पर उल्लिखित "राष्ट्रीय साक्षरता मिशन" कार्यक्रम को मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना से पृथक किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4- उपर्युक्त शासनादेश संख्याः01/2018/13/38-10-2018-24/17 दिनांक 22 जनवरी, 2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
के0 रविन्द्र नायक
सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या- 2/2020/154(1)/38-10-2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

4- अपर मुख्य सचिव, नियोजन/वित्त, उ0प्र0 शासन।

5- अपर मुख्य सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, ऊर्जा, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, समाज कल्याण, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वन एवं वन्यजीव, खाद्य एवं रसद, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, दुग्ध विकास, कृषि एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

9- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

10- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

11- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

12- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

13- गार्ड फाइल।

सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।